

third column of the Order Paper be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1971 in respect of the following Demands entered in the second column thereof:—

Demands Nos. 30, 33, 35, 66, 70, 78, 100, 108, 111, 112, 114, 117 and 127.”

The motion was adopted.

15:31 hrs.

APPROPRIATION (No. 3) BILL*, 1970

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1970-71.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1970-71.”

The motion was adopted.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I introduce† the Bill.

I beg to move†:

“That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1970-71 be taken into consideration.”

Mr. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved.

“That the Bill to authorise payment and

appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1970-71 be taken into consideration.”

Shri Ram Avatar Shastri has sent a notice that he would like to make some observations on the Appropriation Bill. Under the rules, only those who have given notice for it can make observations. I shall give 5 minutes to Shri Ram Avatar Shastri.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, जिन मांगों पर यहाँ हम विचार कर रहे हैं उनके सिलसिले में मुझे एक दो बातें कहनी हैं। पहली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश के कई राज्यों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है जिस की चर्चा कई सदस्यों ने की। लेकिन मैं उसकी विशेषरूप से इसलिए चर्चा करना चाहता हूँ कि विभिन्न सूखा-पीड़ित राज्यों के सिलसिले में मंत्री महोदय ने कोई बात या मांग यहाँ पेश नहीं की थी और अभी इस बात की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बिहार के अन्दर, पश्चिमी बंगाल के अन्दर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्दर, राजस्थान के अन्दर, आन्ध्र प्रदेश के अन्दर और इसी तरीके से और कई राज्य हैं जहाँ भयंकर सूखे की स्थिति है। यह सूखा हर साल हमारे देश के किसी न किसी कोने में पड़ा करता है जिसका मुकाबिला राज्य सरकारों को भी करना पड़ता है और केन्द्रीय सरकार को भी करना पड़ता है। मैंने आज ही के अखबार में पढ़ा कि बिहार सरकार के राजस्व मंत्री ने यह एलान किया है कि बिहार प्रदेश के 65 लाख लोग 70 ब्लाकों के अन्दर सूखे के चंगुल में फंसे हुए हैं और 65 लाख लोग राज्यों के सभी भागों में फंसे हुए हैं। पटना जिला, गया जिला, दक्षिणी मुंगेर, दक्षिणी भागलपुर, जिला साहाबाद, पलामू, सहरसा, हजारी बाग और संथाल परगना जिलों की 80-90 प्रतिशत फसल बिलकुल सूख गई, झुलस गई पानी न रहने की वजह से। तो ऐसी

*Published in the Gazette of India. Extra ordinary Part II. section 2 dated 26. 8. 70.

†Introduced/Moved with the recommendation of the President.

[श्री रामावतार शास्त्री]

भयावह स्थिति है और आप जानते हैं दो तीन साल पहले बिहार को बहुत ही बुरे दिन देखने पड़े थे और बहुत ही बड़े पैमाने पर अकाल वहाँ आया था। फिर ठीक दो साल के बाद वहाँ ऐसी ही स्थिति होने जा रही है। इसी तरह से मैंने बताया राजस्थान में कितने ही लोग मर चुके। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले के बारे में कल चर्चा हुई। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में सूखे की स्थिति बहुत ही भयंकर है। इससे अगर आप लड़ना चाहते हैं और मैं जानता हूँ कि आप लड़ना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बोलते हैं, या जिस तरीके से आप ने व्यवस्था की है इस बजट में उस से ऐसा लगता है कि उससे लड़ने के लिए आप अपने पास अस्त्र-शस्त्र पूरा इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि जहाँ जहाँ भी सूखे की स्थिति है वहाँ फौरन आप सहायता पहुँचाइए। इस बात की प्रतिक्षा मत कीजिए कि राज्य सरकार आप से निवेदन करेगी यह तो उनका कर्तव्य है, वह निवेदन करेंगे ही क्योंकि आप उन राज्यों से सारा टैक्स वसूल कर लाते हैं तो वह तो माँगेंगे ही कि हमारी मदद कीजिए लेकिन आप जब यह समझते हैं कि इतनी भयंकर सूखे की स्थिति है तो आप को बिना मांगे हुए उनकी सहायता करनी चाहिए। आप अपनी तरफ से उनको सहायता भेजिए ताकि वहाँ की जनता भूख से मरने न पाए और उनको समय पर रिलीफ पहुँचाने की व्यवस्था हो सके।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ इंटरिम रिलीफ के बारे में। आप उसका जवाब दे चुके हैं। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जिस समय यह पे कमीशन बना था उस समय पे कमीशन ने इस बात की घोषणा की थी कि जो भी केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के जो भी संगठन हैं वे रेकग्नाइज्ड हों या अनरेकग्नाइज्ड हों या कोई व्यक्ति भी चाहे तो वह भी, सब लोग

मेमोरेंडम भेज सकते हैं। उनकी बातें हम सुनेंगे, तो इससे उन लोगों को भरोसा हुआ था। जो ट्रेड यूनियनों में काम करते हैं और जो खास तौर से उन ट्रेड यूनियनों में काम करते हैं जिनको सरकार मान्यता नहीं देती, वह रेलवे के अन्दर हों या और कहीं हों, तो यह उम्मीद जरूर बंधी थी कि इन तमाम लोगों की बातें सुनेंगे और द्वितीय पे कमीशन के जमाने की बातें दोहराई नहीं जायेंगी यानी केवल रेकग्नाइज्ड यूनियन्स की बातें ही नहीं सुनी जाएंगी बल्कि अन-रेकग्नाइज्ड यूनियनों की बातें भी और जो व्यक्ति ट्रेड यूनियनों में काम करते हैं, उनकी बातें भी सुनेंगे। तो आपने उनका मेमोरेंडम तो ले लिया। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ है कि पे कमीशन के लोग बातचीत करना चाहते हैं केवल मान्यता प्राप्त यूनियनों के लोगों से और आज शायद उन्होंने बातचीत प्रारम्भ भी की है, लेकिन यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि केवल रेकग्नाइज्ड यूनियनों से वह बात कर रहे हैं... (व्यवधान)...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Under the rules only those points which had not been covered in the main debate can be raised at this stage.

श्री रामावतार शास्त्री : इस रूल को समझते हुए मैं बोल रहा हूँ। यह बात किसी ने नहीं कही।

तो आज मालूम हुआ कि वह केवल रेकग्नाइज्ड यूनियनों को ही बुला रहे हैं। लेकिन कई ऐसी अनरेकग्नाइज्ड यूनियनों हैं जो रेकग्नाइज्ड यूनियनों से ज्यादा पावरफुल हैं, उनके पीछे ज्यादा एम्प्लोईज चलते हैं, ऐसी यूनियनों के लोगों से वह बात नहीं करना चाहते, नार्दन रेलवे वर्कर्स यूनियन, आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोशिएशन, इंडियन रेलवे लोको मेकैनिक स्टाफ एसोशियन, आल इंडिया रेलवे रनिंग स्टाफ एसोशिएशन, आल इंडिया रेलवे मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोशिएशन आदि। तो मैं चाहूँगा कि आप इन तमाम लोगों की बातें सुनें और फिर जो करना हो वह करें। यह जो बात मैं कह रहा हूँ वह अगर गलत हो तो आप एलान कीजिए कि

यह बात गलत है और वह इन तमाम लोगों की बात सुनेंगे। अगर यह बात सही है तो मैं कहूँगा कि इस प्रकार का डिस्ट्रिक्मिनेशन पे कमीशन के एलान के बाद क्यों किया जा रहा है जब उन्होंने कहा था कि हम सब की बात सुनेंगे सबका मेमो-रेंडम लेंगे और मैमोरेण्डम उन्होंने दिया, तो हम चाहेंगे कि उन की सबकी बात भी सुन लें।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पहला सवाल उठाया, वह बिहार के पूर्वी जिलों में फल रही सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में था तथा उन्होंने कहा की हम ने उसके लिए पैसे का इन्तजाम नहीं किया है। माननीय सदस्य शायद भूल गये कि हम लोगों ने पिछले मार्च-अप्रैल में जो अपना राष्ट्रीय बजट पास किया था, उसमें इसके लिए प्रावधान कर लिया गया था। इस तरह की जो भी राष्ट्रीय आपत्तियाँ आती हैं उन के लिए हमने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपयों का प्रावधान कर लिया था तथा उसके लिये यहाँ पर दोबारा प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। इन सब चीजों को देखकर जैसी आवश्यकता होगी, उस प्रावधान के अन्तर्गत हम इन्तजामात कर सकते हैं। तथा इसके लिए आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम लोग अच्छी तरह से देखभाल करेंगे।

दूसरा प्रश्न उन्होंने वेतन आयोग के सम्बन्ध में उठाया जैसा माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि वेतन आयोग ने इन्टेरिम रिलीफ के बारे में जो भी मेमोरेण्डा या चिट्ठी-पत्ती उनको मिली, चाहे वे रिक्वगनाइज्ड यूनियन्ज के द्वारा उन को दी गई या अनरिक्वगनाइज्ड यूनियन्ज के द्वारा दी गई या किसी व्यक्ति की तरफ से दी गई, सबको लिया और सब के बारे में ध्यान किया। अब जहाँ तक बुलाने का प्रश्न है, हम वेतन आयोग को किसी तरह की आज्ञा नहीं दे सकते कि वह किस को बुलाये या किस को न बुलाये। यह उनकी मर्जी है कि जिस को चाहे उनको बुलाकर उन की बात को सुन लें। जिसको वे

समझते हैं कि उन की बात सुनने से फायदा होगा, उस को बुलाते हैं, जिसकी बात सुनने से, उनके विवेक के अनुसार, कोई फायदा नजर नहीं आता है, उसको नहीं बुलाने हैं। जिस तरह से ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी के सामने बहुत से मेमो-रेण्डा आते हैं और कमेटी तय करती है कि किसको बुलाना है, किस को नहीं बुलाना है, उसी तरह से वेतन आयोग अपने में एक स्वतंत्र आयोग है, सरकार की तरफ से हम उन को कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं कि वे किस को बुलायें और किस को न बुलायें। जिस को भी वे बुलाना चाहें, उस के लिये वे स्वतन्त्र हैं। लेकिन मैं अधिकृत रूप से कहना चाहता हूँ कि वेतन आयोग अगर किसी को बुलाना चाहे तो उस के लिये हम कोई मनाही नहीं करते हैं। जिसको चाहें बुलायें, जिस कोना चाहें न बुलायें, यह उन के विवेक पर आधारित है, हम उन से कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

“That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1970-71, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

“That Clauses 2, 3 and the Schedule stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

“That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The Motion was adopted.

***DEMAND FOR SUPPLEMENTARY GRANT (RAILWAYS), 1970-71**

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up discussion and voting on the Supplementary Demand for Grant in respect of the Budget (Railways) for 1970-71, for which two hours, have been allotted. Hon. Members present in the House who desire to move their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions which they would like to move.

Demand No. 2-MISCELLANEOUS EXPENDITURE

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,000 be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of 'Miscellaneous Expenditure.'"

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura) : I beg to move :

That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 2,000 in respect of Miscellaneous Expenditure be reduced by Rs. 100.

[Working of survey works as explained in notes and its drawbacks. (1)]

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : I beg to move :

That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 2,000 in respect of Miscellaneous Expenditure be reduced to Re. 1.

[Time allowed for completion of the survey of Apta-Mangalore line. (2)]

SHRI YASAHWANT SINGH KUSHWAH (Bhind) : I beg to move :

That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not Exceeding Rs. 2,000 in respect of Miscellaneous Expenditure be reduced by Rs. 100.

[Non-repair of narrow gauge railway lines. (3)]

That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not Exceeding Rs. 2,000 in respect of Miscellaneous Expenditure be reduced by Rs. 100.

[Need to construct broad gauge railway line on Gwalior-Bhind-Etawah section. (4)]

That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not Exceeding Rs. 2,000 in respect of Miscellaneous Expenditure be reduced by Rs. 100.

[Need to convert Gwalior-Bhind, Gwalior-Shivpuri, Gwalior-Sheoipur narrow gauge lines on Central Railway into broad gauge lines. (5)]

That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not Exceeding Rs. 2,000 in respect of Miscellaneous Expenditure be reduced by Rs. 100.

[Need to construct a new railway line from Dattia to Arah via Lahar. (6)]

That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not Exceeding Rs. 2,000 in respect of Miscellaneous Expenditure be reduced by Rs. 100.

[Delay in the construction of Gunna-Massi railway line. (7)]

*Moved with the recommendation of the President.